राजस्व महा-अभियान

जमीन के कागज़ में करें सुधार
राजस्व विभाग पहुँचा आपके द्वार !

16 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक

अभियान का उद्देश्य

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड(अभिलेख)की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष **"राजस्व महा-अभियान"** का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर/ पंचायत तक पहुँच कर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है।

इन समस्याओं का समाधान कराएँ

डिजिटाइज्ड(ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन)

अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक कराएँ।

उत्तराधिकार नामांतरण

जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएँ।

बंटवारा नामांतरण

संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बँटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग- अलग जमाबंदी कराएँ।

छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाईज्ड(ऑनलाइन) कराना

अपनी छूटी हुईऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएँ।

अभियान के चरण

राजस्व महा-अभियान को तीन मुख्य चरणों में विभक्त किया गया है:

- **प्रथम चरण:** अभियान पूर्व गतिविधियाँ या तैयारी का चरण
  समय-सीमा: 18 जुलाई, 2025 से 14 अगस्त, 2025
- **द्वितीय चरण:** अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (वास्तविक क्रियान्वयन का चरण)
  समय-सीमा: 16 अगस्त, 2025 से 20 सितंबर, 2025
- **तृतीय चरण:** अनुवर्ती गतिविधियाँ (Follow-up Activities)
  समय-सीमा: 21 सितंबर, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025

प्रथम चरण: अभियान पूर्व गतिविधियां (18 जुलाई - 14 अगस्त, 2025)

- **18-28 जुलाई:** सभी जिलों को अंचलवार ऑनलाइन जमाबंदी पंजी (पुरानी) का प्रिंट आउट करने हेतु स्वीकृतादेश एवं आवंटन उपलब्ध कराना।
- **25-29 जुलाई:** महा-अभियान का विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करना।
- **29 जुलाई:** पंचायती राज विभाग को पंचायत स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के दल के गठन हेतु अनुरोध पत्र। दैनिक समाचार एवं दूरदर्शन पर विज्ञापन तथा रेडियो सिंगल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार की शुरूआत।
- **30 जुलाई:** परिमार्जन एवं दाखिल-खारिज संबंधी प्रपत्र, पैम्फलेट डिज़ाइन; विभाग स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन; ट्रेनिंग वीडियो तैयार करना; सभी अपर समाहर्ता (राजस्व)/भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचल अधिकारियों के साथ VC का आयोजन।
- **31 जुलाई:** राज्य स्तरीय फिजिकल ट्रेनिंग (सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के लिए) अधिवेशन भवन, पटना में।

- **02 अगस्त:** महा-अभियान हेतु पोर्टल बनाना और अंचल स्तरीय मॉडल माइक्रो प्लान तैयार करना।
- **04-10 अगस्त:** पुरानी जमाबंदी पंजी प्रति की महा-अभियान हेतु विकसित प्रपत्र बिहारभूमि पोर्टल के स्टेट लॉगिन से डाउनलोड कर प्रिंट करना, छूटे हुये जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु प्रपत्र की प्रिंटिंग, succession mutation प्रपत्र की छपाई, बंटवारा/ उत्तराधिकार बंटवारा प्रपत्र की छपई, पंफ्लेट की छपाई ।
- **11-12 अगस्त:** गठित दल को सभी प्रिंट प्रति को उपलब्ध कराना।
- **04-07 अगस्त:** जिला स्तरीय प्रशिक्षण (सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के लिए)।
- **05-09 अगस्त:** अंचल स्तरीय प्रशिक्षण (राजस्व कर्मचारी, अन्य अंचल कर्मी एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए)।
- **10-12 अगस्त:** अंचल कार्यालयों द्वारा माइक्रो प्लान तैयार करना और पोर्टल पर अपलोड करना; जिला स्तरीय आदेश जारी करना; जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय पर्यवेक्षण दलों का गठन।

द्वितीय चरण: अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (16 अगस्त – 20 सितंबर, 2025)

- **16 अगस्त – 20 सितंबर:** अंचलों द्वारा बनाए गए माइक्रोप्लान के अनुसार प्रत्येक मौजा हेतु गठित द्वि-सदस्यीय दल द्वारा घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी प्रति/आवेदन प्रपत्र एवं पैम्फलेट का वितरण।
- **19 अगस्त – 20 सितंबर:** प्रत्येक अंचल में पंचायत सरकार भवन या अनुपलब्धता की स्थिति में किसी अन्य सरकारी भवन में हल्कावार शिविरों का आयोजन; भरे हुए आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक सहित रैयतों से प्राप्त करना एवं प्रविष्टि।
- **16 अगस्त – 20 सितंबर (प्रति कार्य दिवस 9:30 पूर्वाह्न से 4:30 अपराह्न तक):** प्रतिदिन वितरित एवं प्राप्त आवेदनों से संबंधित दैनंदिन प्रतिवेदन का प्रेषण (शिविरवार) और महा-अभियान पोर्टल पर अपलोड करना।

दैनिक गतिविधियाँ:

- प्रत्येक शिविर में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप एवं इंटरनेट डोंगल के साथ उपस्थित रहेंगे और प्राप्त आवेदन पत्रों की संक्षिप्त जानकारी कम्प्यूटर में संधारित करेंगे।
- प्रत्येक शिविर के प्रभारी के रूप में राजस्व कर्मचारी कार्य करेंगे।
- प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों से संबंधित प्रतिवेदन पोर्टल पर एंट्री करने का दायित्व शिविर प्रभारी का होगा।
- अपर समाहर्ता प्रतिदिन एक समेकित प्रतिवेदन विभाग को संध्या 6:00 बजे तक ऑन-लाइन एंट्री के माध्यम से भेजेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

1

डिजिटाइज्ड (ऑनलाइन)जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन)

- अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा (क्षेत्रफल) तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियों/छूटे हुये जानकारी को ठीक कराएँ।
- राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराये गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिये गए खाली जगह में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिये गए अतिरिक्त खाली जगह में भरें।
- भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों/ सबूतों के कागजात के साथ राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।

आवेदन प्रक्रिया

2

उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation)

- जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएँ।
- सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं।
- इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।

आवेदन प्रक्रिया

3

बंटवारा नामांतरण

- संयुक्त / पूर्वज (मृत्यु उपरांत) की जमाबंदी के आपसी सहमति/ रजिस्टर्ड/ कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम कराएँ।
- सर्वप्रथम संयुक्त / पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं।
- इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम/ मोबाइल न0 के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।

आवेदन प्रक्रिया

4

छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना

- यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, तो उसे ऑनलाइन कराएँ।
- राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।

परिमार्जन के आवेदन "परिमार्जन प्लस पोर्टल" पर और नामांतरण/बंटवारा के आवेदन "e-Mutation Portal" पर प्रोसेस किए जाएँगे।

तृतीय चरण: अनुवर्ती गतिविधियाँ

(21 सितंबर – 30 अक्टूबर, 2025)

21 सितंबर – 30 अक्टूबर, 2025: शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराया जाएगा।

प्रचार-प्रसार

✓ विभागीय मीडिया कोषांग द्वारा अखबार/टीवी ऐड/रेडियो जिंगल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।

✓ प्रत्येक समाहरणालय एवं अंचल में एक-एक होर्डिंग लगाना।

✓ स्थानीय जन प्रतिनिधियों की बैठक कर महाअभियान का प्रचार प्रसार।

✓ मुख्यालय स्तर से बल्क मैसेजिंग द्वारा भी महा अभियान को प्रचारित करना।

धन्यवाद!